नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पेशी

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

23/225 हनुमान बनाम बालू

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

2023/164

श्री

श्री

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

हनुमान बनाम बालू वगैरह (2023/164)

30/5/23

पत्रावली वास्ते आदेशाथ पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 26.05.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र स्थगन में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थायी निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1082, 368, 459, 460, 517, 518, 519, 520, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 643, 644, 645, 757, 924, 925, 926, 927, 942, 994 कुल किता 24 कुल रकबा 10.9800 है0 तथा खसरा नम्बर 8264, 8270, 8271, 8272, 8076,8277 कुल किता 06 कुल रकबा 5.0300 है0 वाकैग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में स्थित हैं। उक्त आराजीयात जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी का 1/5 हिस्सा है उक्त आराजीयात वादी के दादा सुवा पुत्र रामसुख व वादी के दादा के भाई चन्द्रा पुत्र रामनाथ के नाम थी एवं जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई उक्त आराजीयात में अपीलांट का भी 1/5 हिस्सा निहित है इसलिए प्रार्थी को 1/5 हिस्सेका खातेदार घोषित किया जावें साथ ही साथ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद फरमाया जावें कि वह आराजीयात को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलबाजी नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर सुना जाकर दिनांक 18.05.2023 को आदेश जारी किया गया जिसमें खसरा नम्बर 8264, 8270, 8271, 8272, 8076,8277 कुल किता 06 कुल रकबा 5.0300 है0 वाकैग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद के बाबत् ही स्थगन जारी किया गया शेष आराजीयात बाबत् कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया शेष आराजीयात बाबत् कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया इस प्रकार के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। राजस्व रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल व साबिक खसरा नम्बर की खतौनी जो प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वाकै ग्राम मीरापुरा चन्द्रा व सुवा वल्द रामसुख की खातेदारी की आराजीयात रही है एवं विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई है। जिससे स्पष्ट हे कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उक्त आराजीयात में अपीलांर्थी का 1/5 हिस्सा निहित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन की प्रार्थना खारिज कर अप्रार्थी संख्या 01 को आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रकरण आराजी के पैत्रक होने से अपीलार्थी के पक्ष में प्रबल था अपीलार्थी की आराजीयात जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम दर्ज है का बैचान हो जाता है तो अपीलार्थी अपने विधिक अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन भी बजाय अप्रार्थी /रेस्पोडेन्ट के प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में प्रबल हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात को रहनं, बय व मुन्तकिल नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री 2023/164 श्री

किया गया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र में जो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी उसमें केवल वाकै ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 8264, 8270, 8271, 8272, 8076,8277 कुल किता 06 कुल रकबा 5.0300 है0 बाबत् अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिये गये थे तथा वाद पत्र के साथ अन्य भूमि वाकै ग्राम मीरापुरा तहसील मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 1082, 368, 459, 460, 517, 518, 519, 520, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 643, 644, 645, 757, 924, 925, 926, 927, 942, 994 कुल किता 24 कुल रकबा 10.9800 है0 बाबत् अन्तरिम स्थगन जारी नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त दोनो ग्राम स्थित आराजी बाबत् वादीगण/प्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त आराजी चन्द्र व सुवा वल्द रामसुख की खातेदारी की आराजीयात रही है एवं विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हुई है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के अनुसार उक्त आराजीयात में अपीलार्थी का 1/5 हिस्सा निहित था। प्रकरण (प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम) का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को करना है। अपीलांटस की पुश्तैनी आराजीयात को सरंक्षित किया जाना न्यायहित में उचित है। मान्नीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं मान्नीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तब तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 254/2023 बउनवान हनुमान बनाम बालू वगैरह में अंकित विवादित वाकै ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 8264, 8270, 8271, 8272, 8076,8277 कुल किता 06 कुल रकबा 5.0300 है0 एवं विवादित आराजी वाकै ग्राम मीरापुरा तहसील मौजमाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 1082, 368, 459, 460, 517, 518, 519, 520, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 643, 644, 645, 757, 924, 925, 926, 927, 942, 994 कुल किता 24 कुल रकबा 10.9800 है. की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के समक्ष नियत दिनांक 20.06.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड प्रस्तुत करने पर

Scanned with CamScanner

अजमेर

ब अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2023/225 हनुमान vs जाकी सिंह

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2023/164 श्री विरेन्द्र सिंह श्री	
	आगामी तारीख पेशी दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,

अजमेर,कोर्ट कैम्प, दूदू जिला जयपुर

अपील संख्या .....164...../2023

2023 | 164

हनुमान पुत्र बालू जाति जाट निवासी–मीरापुरा तहसील़ मौजमाबाद जिला जयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. बालू पुत्र सुवा दत्तक पुत्र चन्द्रा जाति जाट निवासी–मीरापुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
2. शिवराज पुत्र बालू जाति जाट निवासी–मीरापुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
3. मीरा पत्नि औंकार जाति जाट निवासी–गणतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. हीरा देवी पत्नि कमलेश जाति जाट निवासी–गणतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
6. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौजमाबाद जिला जयपुर

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,मौजमाबाद

आदेश दिनांक 18.05.2023 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 254/2023

उनवान हनुमान बनाम बालू

महोदयजी,

अपीलार्थी अपील निम्न तथ्यों के साथ प्रस्तुत है–

यह कि अपीलार्थी की अपील के सक्षेप विवरण इस प्रकार है कि –

Scanned with CamScanner